रजिस्ट्री सं० डी–(डी)–72

REGISTERED No. D-(D)-72

Ntf. No. ~~1216~~ 1267

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1976/चैत्र 11, 1898

No. 164] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1976/CHAITRA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

27.4.76

New Delhi, the 31st March 1976

S.O. 266(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1976.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), rule 18A shall be omitted.

3. After rule 24 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"24A. *Communication regarding partner who is a benamidar.*—(1) The communication required to be made by any partner of a firm under clause (b) of the *Explanation* below sub-section (1) of section 185 shall be in Form No. 12A.

(2) The communication referred to in sub-rule (1) shall be made,—

(a) in a case where the firm has not been registered under section 184, before the end of the previous year for the assessment year in respect of which registration of the firm is sought:

Provided that where the registration is sought for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1976, the communication may be made

before the expiry of the time allowed under sub-section (1) or sub-section (2) of section 139 (whether fixed originally or on extension) for furnishing the return of income for that assessment year;

(b) in a case where the registration of the firm has effect under sub-section (7) of section 184 for any assessment year, before the expiry of the time allowed under sub-section (1) or sub-section (2) of section 139 (whether fixed originally or on extension) for furnishing the return of income for that assessment year.".

4. After Part IX of the principal rules, the following Part shall be inserted, namely:—

"PART IXA

SETTLEMENT OF CASES

44C. *Form of application for settlement of case.*—(1) An application for settlement of a case under sub-section (1) of section 245C shall be made in quintuplicate in Form No. 34B.

(2) The form of application referred to in sub-rule (1) and the form of verification appended thereto shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 45.

(3) Every application in connection with the settlement of a case shall be accompanied by a fee of five hundred rupees.

44D. *Fee for furnishing copy of report.*—(1) The following scale of fees shall be levied by the Settlement Commission for furnishing under section 245G a copy of any report or part of any report made by any Income-tax authority to the Settlement Commission:—

For the first two hundred words or less . ..	80 paise
For every additional hundred words or fraction thereof ..	40 paise.

(2) The fee referred to in sub-rule (1) shall be recovered in advance in cash.".

5. In rule 45 of the principal rules, in sub-rule (2), for clauses (c) and (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) in the case of a company, by the managing director thereof, or where for any unavoidable reason such managing director is not able to sign and verify the return, or where there is no managing director, by any director thereof;

(cc) in the case of a firm, by the managing partner thereof, or where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the return, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;

(d) in the case of a local authority, by the principal officer thereof;".

6. After rule 113 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"114. *Application for allotment of a permanent account number.*—(1) An application under sub-section (1) or sub-section (2) of section 139A for allotment of a permanent account number shall be made in duplicate in Form No. 49A.

(2) An application referred to in sub-rule (1) shall be made,—

(i) in cases where the function of allotment of permanent account number under section 139A has been assigned by the Commissioner to any particular Income-tax Officer, to that Income-tax Officer;

(ii) in any other case, to the Income-tax Officer having jurisdiction to assess the applicant.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be made,—

(i) in a case where the total income of the person or the total income of any other person in respect of which he is assessable under the Act during any accounting year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income-tax and he has not been allotted any permanent account number, on or before the 31st day of May of the assessment year for which such income is assessable;

(ii) in the case of a person not falling under clause (i), but carrying on any business the total sales, turnover or gross receipts of which are or is likely to exceed fifty thousand rupees in any accounting year and who has not been allotted any permanent account number, before the end of that accounting year.".

7. After rule 121 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"121A. *Form of statement to be furnished by producer of cinematograph films.*— The statement required to be furnished under section 285B by a person carrying on production of cinematograph films shall be in Form No. 52A.".

8. In Appendix II to the principal rules,—

(a) in Form No. 10B, in the Annexure, under the heading—

"I. Application of income for charitable or religious purposes", item 6 shall be re-numbered as item 8 and for items 1 to 5, the following items shall be substituted, namely:—

"1. Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year.

2. Whether the trust/institution* has exercised the option under clause (2) of the *Explanation* to section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year.

3. Amount of income accumulated or set apart* for application to charitable

finally set apart

or religious purposes, to the extent it does not exceed 25 per cent of the income derived from property held under trust wholly*

for such purposes. in part only

4. Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c). (Give details).

5. Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2).

6. Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b)? If so, the details thereof.

7. Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the *Explanation* to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B)? If so, the details thereof.";

(b) after Form No. 12, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 12A

(*See* rule 24A)

Communication under clause (b) of *Explanation* below section 185(1) of the Income-tax Act, 1961 regarding partner who is a *benamidar*

To

The Income-tax Officer,

....

....

Re: Assessment Year 19 —19

I/We, partner(s) of the firm................hereby state that I/we know or have reason to believe that........................partner......................of the firm......................was in relation to the whole/part of his share in the income/property of the said firm a *benamidar* during the whole/part of the previous year ending on..............of................who was not a partner of the said firm.

Date Signature: Address

1.

2.

etc. ".

(c) after Form No. 34A, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM No. 34B

[*See* rule 44C]

Form of application for settlement of case, under section 245C(1) of the Income-tax Act, 1961.

In the Settlement Commission.......................

*Settlement application No.......................19——19——.

1. Full name and address of the applicant.

2. Permanent account number.

3. The Commissioner having jurisdiction over the applicant.

4. Proceeding to which the application for settlement relates.

5. Assessment year(s) in connection with which the application for settlement is made.

6. The Income-tax authority, before whom the proceeding is pending.

7. If the application is made after withdrawing any appeal pending before the Income-tax Appellate Tribunal, the date on which the order of the Tribunal permitting withdrawal of the appeal was communicated to the applicant.

8. †Particulars of the matter to be settled.

....
(Signed)
Applicant

VERIFICATION

I,............................, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today the .... day of ....19 .

....
(Signed)
Applicant

NOTES:

1. The application for settlement must be in quintuplicate.

2. The application for settlement must be accompanied by a fee of five hundred rupees. The fee should be credited in the Treasury or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India and the triplicate challan sent to the Settlement Commission with the application for settlement. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.

3.*The number and year of application will be filled in in the office of the Settlement Commission.

4. †If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

5. The application for settlement of a case shall not be allowed to be withdrawn by the applicant.";

(d) in Form No. 36,—

(a) in item 6, after the figures "271", the figures and letters "/271A/272A" shall be inserted;

(b) in item 7, after the figures and brackets "274(2)", the figures and letter "272A" shall be inserted;

(c) for item 8, the following item shall be substituted, namely:—

"8** The Commissioner passing the order under section 154/250/263/271/271A/272A/285A.";

(d) after Form No. 49, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM No. 49A

[*See* rule 114]

Form of application for allotment of permanent account number under section 139A.

To

The Income-tax Officer,

____

____

Sir,

Whereas my/our total income/the total income of .... (name) in respect of which I am assessable under the Income-tax Act, during the accounting year ending on.......................exceeded rupees............, the maximum amount which is not chargeable to income-tax;

Whereas my/our case does not fall under sub-section (1) of section 139A, and I am/we are carrying on a business the total sales/turnover/gross receipts of which are or is likely to exceed fifty thousand rupees in the accounting year ending on................;

And whereas no permanent account number has been allotted to me/us;

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.

I/We give below the necessary particulars:—

1. Full name and address.

2. Status (whether individual, Hindu undivided family, etc.).

3. If an individual—

(a) name of father (or husband)

(b) age

4 Source(s) of income.

5. Particulars of business, if any; Name Address Nature of business

(i) Head Office

(ii) Branches

6. If firm/Hindu undivided family/association of persons/body/of individuals/company, the names and addresses of partners/members/directors.

7. Full name and address of other person in respect of whose total income the applicant is assessable under the Income-tax Act.

Signed

(Applicant)

I/We,..............................., the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.

Verified today this the............day of...................19 .

Signed

(Applicant) ";

(f) after Form No. 52, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM No. 52A

[*See* rule 121A]

Statement to be furnished to the Income-tax Officer under section 285B of the Income-tax Act, 1961, in respect of production of a cinematograph film.

1. Name and address of the producer.
2. Permanent account number.
3. Name of the film.
4. Date on which the production of the film was started.
5. If the production of the film has been completed, the date of completion.
6. Financial year to which the statement relates.
7. Details of payments of over Rs. 5,000/- in the aggregate made by the producer or due from him to each person engaged in the production of the film as employee or otherwise:

Name and address of the person to whom payment has been made or is due	Nature of payment	Date on which payment was made or became due	Amount of payment

VERIFICATION

I,............................., do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Verified today the .... day of ....19 .

Signature of the producer.

NOTES.—1. The statement should be in respect of the financial year during which the production of a cinematograph film is carried on and should be furnished within thirty days from the end of the financial year or within thirty days from the date of the completion of the poduction of the film, whichever is earlier.

2. If the space provided in item 6 for the details of payment is insufficient, separate enclosures may be used for the purpose."

[No. 1267/F. No. 142(14)/76-TPL]

O. P. BHARDWAJ, Secy.
Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

का० आ० 266(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में से नियम 18क का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियमों के नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"24क **उस भागीदार की बाबत संसूचना जो बेनामीदार है।**—(1) धारा 185 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अधीन, किसी फर्म के किसी भागीदार द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित संसूचना प्ररूप सं० 12क में होगी।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट संसूचना—

(क) ऐसे मामले में जहां फर्म का रजिस्ट्रीकरण धारा 184 के अधीन नहीं किया गया है वहां उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्व वर्ष के अन्त से पहले दी जाएगी, जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, दी जायेगी :

परन्तु जहां 1 अप्रैल, 1976 को आरम्भ होने वाले निर्धारण के लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है वहां संसूचना उस निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय (चाहे वह मूलतः नियत किया गया हो या बढ़ाए जाने पर) के पर्यवसान के पूर्व दी जाएगी।

(ख) ऐसे मामले में जहां फर्म का रजिस्ट्रीकरण किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 184 की उपधारा (7) के अधीन प्रभावी है, वहां उस निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय (चाहे वह मूलतः नियत किया गया हो या बढ़ाए जाने पर) के पर्यवसान के पूर्व दी जाएगी।"

4. मूल नियमों के भाग 9 के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 9 क

मामलों का समझौता

44ग. **मामले के समझौते के लिए आवेदन का प्ररूप।**—(1) धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन मामले के समझौते के लिए आवेदन प्ररूप सं० 34ख में चार प्रतियों में किया जाएगा ;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के प्ररूप और उससे उपाबद्ध सत्यापन के प्ररूप में नियम 45 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) मामले के समझौते के सम्बन्ध में प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस दी जाएगी।

44घ. **रिपोर्ट की प्रति दिए जाने के लिए फीस.**—(1) समझौता आयोग द्वारा धारा 245छ के अधीन किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा समझौता आयोग को दी गई किसी रिपोर्ट या किसी रिपोर्ट के भाग की प्रति दिए जाने के लिए निम्नलिखित मापमान के अनुसार फीस उद्गृहीत की जाएगी :

प्रथम दो सौ शब्दों या उससे कम के लिए	80 पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त सौ शब्दों या उसके भाग के लिए	40 पैसे

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट फीस नकद में अग्रिम में वसूल की जाएगी।"।

5. मूल नियमों के नियम 45 में, उपनियम (2) में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) कम्पनी की दशा में, उसके प्रबन्ध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध निदेशक विवरणी में हस्ताक्षर करने और उसका सत्यापन करने में समर्थ नहीं है, या जहां कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है, उस कम्पनी के किसी निदेशक द्वारा ;

(गग) फर्म की दशा में, उस फर्म के प्रबन्ध भागीदार द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध भागीदार विवरणी में हस्ताक्षर करने और उसका सत्यापन करने में समर्थ नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबन्ध भागीदार नहीं है, उस कम्पनी के किसी भागीदार द्वारा जो अवयस्क न हो ;

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा ; "।

6. मूल नियमों के नियम 113 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"114. **स्थायी लेखा संख्यांक लिए जाने के लिए आवेदन.**—(1) धारा 139क की उपधारा (2) के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक दिए जाने के लिए आवेदन प्ररूप संख्या 49क में दो प्रतियों में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन,—

(i) उन मामलों में जहां धारा 139क के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक देने का कृत्य आयुक्त द्वारा किसी विशिष्ट आयकर अधिकारी को समनुदेशित किया गया है, उस आय-कर अधिकारी को किया जाएगा ;

(ii) किसी अन्य मामले में, उस आय-कर अधिकारी को किया जाएगा जिसकी आवेदक का निर्धारण करने की अधिकारिता है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन —

(i) ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति की कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी बाबत वह आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, कुल आय, किसी लेखा वर्ष के दौरान उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो आयकर से प्रभार्य नहीं है और उसे कोई स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, उस निर्धारण वर्ष की, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारण योग्य है, मई के 31वें दिन को या उससे पूर्व किया जाएगा ;

(ii) उस व्यक्ति की दशा में जो खण्ड (i) के अन्तर्गत नहीं आता है, किन्तु जो ऐसा कारोबार चलाता है जिसका कुल विक्रय आवर्त या सकल प्राप्तियां किसी लेखा वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक है या होने की सम्भावना है और जिसे कोई स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, उस लेखा वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।" ।

7. मूल नियमों के नियम 121 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"121क. **चलचित्र फिल्मों के निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली विवरणी का प्ररूप.**—चलचित्र फिल्मों का निर्माण करने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 285ख के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी प्ररूप संख्या 52 क में होगी।" ।

8. मूल नियमों के उपाबंध 2 में,—

(क) प्ररूप सं० 10 ख में, उपाबंध में "I. पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का प्रयुक्त किया जाना" शीर्षक के अधीन मद 6 को मद 8 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और मद 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी अर्थात् :—

"1. पूर्व वर्ष की आय की वह रकम जो उस वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाती है।

2. क्या न्यास/संस्थान ने धारा 11 (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ? यदि हां, तो उस आय की रकम के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की गई समझी गई है।

3. पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए, उस परिमाण तक जिस तक कि वह न्यास के अधीन पूर्णतया * / केवल भागत : धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, संचित या अलग रखी गई * / अंतिम रूप से अलग रखी गई आय की रकम।

4. धारा 11 (1) (ग) के अधीन छूट योग्य आय की रकम (ब्यौरे दीजिए)

5. मद 3 में निर्दिष्ट आय के अतिरिक्त, धारा 11(2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या अलग रखी गई आय की रकम।

6. क्या मद 5 में उल्लिखित रकम का धारा 11(2) (ख) में उपवर्णित रीती से विनिधान या निक्षेप किया गया है ? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दीजिए।

7. क्या उस रकम के किसी भाग को जिसकी बाबत किसी पूर्वतर वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया था, धारा 11(1) (ख) के अधीन पूर्व वर्ष की आय समझा गया है। यदि हां तो उसके ब्यौरे दीजिए।" ;

(ख) प्ररूप संख्या 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप संख्या 12क

(नियम 24क देखिए)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 185 (1) के नीचे **स्पष्टीकरण** के खण्ड (ख) के अधीन उस भागीदार की बाबत संसूचना जो **बेनामिदार है** ।

सेवा में,

आयकर अधिकारी,

—————————

—————————

विषय निर्धारण वर्ष 19 —19

मैं/हम, जो—————————फर्म का/के भागीदार हूं/हैं, एतद्द्वारा कथन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें यह ज्ञात है/यह विश्वास करने का कारण है कि—————————फर्म का भागीदार श्री————— उक्त फर्म की आय/सम्पत्ति में अपने पूर्ण अंश या उसके किसी भाग के संबंध में—————————को समाप्त होने वाले सम्पूर्ण/पूर्व वर्ष या उसके भाग के दौरान श्री—————————का, जो कि उक्त फर्म का भागीदार नहीं था, बेनामीदार था।

तारीख हस्ताक्षर पता

1.

2. ,आदि ";

(ग) प्ररूप संख्या 34क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप संख्या 34ख

(नियम 44ग देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ग (1) के अधीन मामले के समझौते के लिए आवेदन का प्ररूप

समझौता आयोग—————————————————के समक्ष

समझौता आवेदन संख्या——————19 —————19————.

1. आवेदक का पूरा नाम और पता ———————————

2. स्थायी लेखा संख्यांक ———————————

3. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त।

4. समझौते के लिए आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाहियां

5. वह/ वे आबंटन वर्ष जिसके सम्बन्ध में समझौते के लिए आवेदन किया गया है।

6. वह आय-कर प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही/कार्यवाहियां लम्बित है / हैं।

7. यदि आवदन आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष लम्बित किसी अपील का प्रत्याहरण करने के पश्चात् किया गया है तो वह तारीख जिसको अपील के प्रत्याहरण की अनुज्ञा के लिए अधिकरण का आदेश आवेदक को संसूचित किया गया था।

8. समझौते के विषय की बाबत विशिष्टियां।

(हस्ताक्षरित)

आवेदक

सत्यापन

मैं, ———————, आवेदक घोषित करता हूं कि ऊपर जो कुछ कथित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज 19 ———————के ———————मास के ———————दिन सत्यापित।

(हस्ताक्षरित)

आवेदक

टिप्पण:—

1. समझौते के लिए आवेदन चार प्रतियों में होना चाहिए।

2. समझौते के लिए आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फ़ीस दी जाएगी। फ़ीस खजाने में या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा की जाएगी और तीन प्रतियों में चालान समझौते के लिए आवेदन के साथ समझौता आयोग को भेजा जाएगा। समझौता आयोग चैक, ड्राफ्ट, हुन्डी या अन्य परिक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।

†3. आवेदन का संख्यांक और वर्ष समझौता आयोग के कार्यालय में भरे जाएंगे।

††4. यदि रिक्त स्थान यथेष्ट प्रतीत न होता हो तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नों का प्रयोग किया जा सकता है।

5. मामल के समझौते के लिए आवेदन का आवेदक द्वारा प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं होगा।";

(घ) प्ररूप संख्या 36 में,

(क) मद 6 में, "271" अंकों के पश्चात्, "/271क/ 272 क" अंक और अक्षर अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद 7 में, "274 (2)" अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "272क" अंक और अक्षर अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) मद 8 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"††8 धारा 154/250/263/271/271क/272क/285 क के अधीन आदेश पारित करने वाला आयुक्त।" ;

(ङ) प्ररूप संख्या 49 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप संख्या 49क

(नियम 114 देखिए)

धारा 139 क के अधीन स्थाई संख्यांक दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

आयकर अधिकारी ;

———————————

———————————

महोदय,

————को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दौरान मेरी/हमारी कुल आय/ श्री ————————की कुल आय, जिनकी कुल आय की बाबत मैं आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय हूं, ————रुपए से, जो वह अधिकतम रकम है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक हो गयी थी ; और

मेरा मामला धारा 139 क की उपधारा (1) के अधीन नहीं आता है, और मैं/हम एसा कारोबार चला रहा हूं/चला रहे हैं जिसका कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां, ——————को समाप्त होने वाले लेखावर्ष में, पचास हजार रुपए से अधिक हैं या अधिक होने की सम्भावना है ;

और मुझे / हमें कोई स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है ; अतः मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें एक स्थायी लेखा संख्यांक दिया जाए ।

आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं :

1. पूरा नाम और पता ।

2. हैसियत (व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि) ।

3. व्यष्टि की दशा में,—

(क) पिता (या पति) का नाम

(ख) आयु

4. आय के स्रोत ।

5. कारोबार की, यदि कोई हो, विशिष्टियां :

नाम	पता	कारोबार की प्रकृति

(i) मुख्य कार्यालय

(ii) शाखाएं

6. फ़र्म/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय/कम्पनी की दशा में भागीदारों/सदस्यों/निदेशकों के नाम और पते ।

7. उन अन्य व्यक्तियों के पूरे नाम और पते जिनकी कुल आय की बाबत आवेदक आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है ।

हस्ताक्षरित

(आवेदक)

मैं/हम, ————————, आवेदक, घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर जो कुछ कथित किया गया है वह मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आज 19————————के————————मास के दिन सत्यापित ।

हस्ताक्षरित

(आवेदक)";

(च) प्ररूप संख्या 52 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"प्ररूप संख्या 52 क

(नियम 121क देखिए)

चलचित्र फ़िल्मों के निर्माण के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285(ख) के अधीन, आय-कर अधिकारी को दी जाने वाली विवरणी

1. निर्माता का नाम और पता। ____________

2. स्थायी लेखा संख्यांक। ____________

3. फिल्म का नाम। ____________

4. फ़िल्म का निर्माण आरम्भ करने की तारीख। ____________

5. यदि फ़िल्म का निर्माण पूरा हो चुका है तो निर्माण पूरा होने की तारीख। ____________

6. विवरणी किस वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में है? ____________

7. कुल मिलाकर 5000/- रु० से अधिक के उन सभी संदायों के ब्यौरे जो निर्माता ने फ़िल्म के निर्माण में कर्मचारी के रूप में या अन्यथा लगाए गए प्रत्येक व्यक्ति को किए हैं या उसके द्वारा देय हैं:

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे संदाय किया गया है या देय है	संदाय की प्रकृति	संदाय करने की या संदाय देय होने की तारीख	संदाय की रकम

सत्यापन

मैं,————————घोषित करता हूं कि ऊपर जो कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज 19————————के————————मास के————————दिन सत्यापित।

निर्माता के हस्ताक्षर

टिप्पण —1. विवरणी उस वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में होनी चाहिए जिसके दौरान चलचित्र फ़िल्म का निर्माण किया जाता है और उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति या फ़िल्म के निर्माण की समाप्ति की तारीख से, दोनों में से जो भी पूर्वतर है, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. यदि मद 6 में दिया गया रिक्त स्थान संदायों के ब्यौरे के लिए यथेष्ट न हो तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का प्रयोग किया जा सकता है। "।

[सं० 1267/फा० सं० 142(14)/76-टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976